8

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ...ऊरुआ... बनाम ...कप्तान, बलवीर पि० रामदयाल

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनॉक :- 26/3/2019

प्रकरण संख्या :- 8/2018/RA

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शेरपुरतर्फ ऊरुआ की आ.ख.न. 160 कुल रकबा 0-09 किस्म जमीन 0-09 में से 0-01 रकबे पर श्री कप्तान, बलवीर पि० रामदयाल पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जाट पुख्ता कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ऊरुआ द्वारा दिनॉक 27/8/18 डालकर को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दरोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी कप्तान, बलवीर, पि० रामदयाल जाति जाट निवासी ऊरुआ को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश नहीं किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 160 रकबा 0-09 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमु. मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान .... का 50 गुणा 3/- तीन रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ऊरुआ भू.अ.निरी. दरोदा को लिखा जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर (अलवर) रा.
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. 8 को पालनार्थ
पत्रावली नकल पेश हो।